"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 फरवरी 2007—माघ 27, शक 1928

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं देवलाल वैदे आत्मज श्री जी. एस. वैदे, उम्र 45 साल, निवासी प्लाट नं. 330/10, महर्षि विद्या मंदिर के पीछे, आनन्द नगर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने उपनाम वैदे को परिवर्तित कर देवलाल वैद्य रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे देवलाल वैद्य आत्मज श्री जी. एस. वैदे के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
देवलाल वैदे आत्मज- श्री जी. एस. वैदे निवासी- प्लाट नं. 330/10, महर्षि विद्या मंदिर के पीछे, आनन्द नगर, भिलाई तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	देवलाल वैद्य आत्मज- श्री जी. एस. वैदे निवासी- प्लाट नं. 330/10, महर्षि विद्या मंदिर के पीछे, आनन्द नगर, भिलाई तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 24 जनवरी 2007

प्ररूप-पांच
[नियम 5 (1) देखिये]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 का उपनियम (1) देखिये]

लोक न्यास के पंजीयक, बिलासपुर जिला के समक्ष

क्रमांक/क/अ. वि. अ./वा-1/06.—क्योंकि मुझे प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 2 की उपधारा (4) के अभिप्राय के लिये लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं संजय अग्रवाल, पंजीयक बिलासपुर लोक न्यासों का पंजीयन, अपने न्यायालय में दिनांक 29-01-2007 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप धारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन मेरे समक्ष प्रस्तुत करना और मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जायेगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम और पता एवं संपत्ति का वर्णन)

(1)	लोक न्यास का नाम	:	दाऊदी बोहरा जमात बिलासपुर (छ. ग.)
(2)	चल सम्पत्ति	:	11000.00 रुपये बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा बिलासपुर में जमा
(3)	अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

बिलासपुर, दिनांक 24 जनवरी 2007

प्ररूप-चार
[नियम 5 (1) देखिये]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम, 1962 का निय्नम 5 (1) देखिये]

पंजीयक, लोक न्यास बिलासपुर जिले के समक्ष

क्रमांक क/अ. वि. अ./वा-1/07.—चूंकि, माधोहरि गाडोदिया पुत्र श्री राधाकृष्ण गाड़ोदिया निवासी 269, समता कालोनी, रायपुर छ. ग. लोक अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया

है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 15-3-2007 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं संजय अग्रवाल, पंजीयक लोक न्यास, जिला बिलासपुर का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 15-3-2007 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप धारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता है और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता एवं संपत्ति का वर्णन)

(1) लोक न्यास का नाम : मूर्ति भगवान श्री वेंकटेश जी सदरबाजार, जूनी लाईन, बिलासपुर छ. ग.

(2) चल सम्पत्ति : 31-3-2006 की स्थिति में

बैंकों में स्थायी जमा -

बिलासपुर, रायपुर क्षे. ग्रा. बैंक	-	90,422
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	-	1,06,630
आई. सी. आई. सी. आई. इन्कम प्लान	-	2,50,000
पी. एन. बी. बैंक बचत खाता :-		
एकाउन्ट नं. 324500-0100019638	-	64,083
नकद	-	44,463
श्रृंगार आभूषण चांदी के	-	4,32,000
श्रृंगार आभूषण सोने के	-	1,10,000
मंदिर में अन्य वस्तुएं	-	1,00,000

(3) अचल सम्पत्ति :

1.	सदर बाजार जूनी लाईन बिलासपुर, शीट नं. 18, प्लाट नं. 40/1, 39/1, 39/3, 41/5, 41/3, कुल जमीन 21,252 वर्गफीट.	-	8,00,13,780
2.	----,,---- पुराना निर्मित भवन	-	2,50,000
3.	ग्राम सरकंडा, बिलासपुर प.ह.नं. 20 खसरा नं. 1108/21, 1117/1, कुल जमीन 11846 वर्गफीट.	-	1,48,07,500
4.	----,,---- पुराना निर्मित भवन	-	10,000
5.	ग्राम सकरी बिलासपुर ख. नं. 51, 52, 53, 54, 61, 68, 673, 164, 277, 290/1, 293, 294, 668, 493, 674, 745, 744, 743, 742, 746/1, 748, 751/4 ख, 508, 757/1, 757/2, 119 कुल जमीन 31.72 एकड़.	-	1,72,68,368

संजय अग्रवाल,
अनुविभागीय अधिकारी एवं
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, धमतरी (छ. ग.)

धमतरी, दिनांक 1 फरवरी 2007

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम 1960 की धारा 18 (1), (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/सपंध/परि./2006/558.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/स.पं.ध/परि./2002/325/4-9-02 के द्वारा महानदी सिंचाई परि. कर्म. उपभण्डार सहकारी संस्था मर्यादित रूद्री तहसील धमतरी, जिला धमतरी जिसका पंजीयन क्रमांक 335 दिनांक 6-12-1989 है को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री ए. के. अग्निहोत्री को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था को परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं एल. एल. बृन्झ उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धमतरी म. प्र. सहकारी संस्थाएं अधिनियम 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5/6/79/1/15 वी दिनांक 27-8-1979 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 31-1-2007 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एल. एल. बृन्झ,
उप पंजीयक.

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 29 जनवरी 2007

क्रमांक/परिसमापन/2007/112.—पंजीयन क्रमांक 3031 दिनांक 29-1-76 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 824 दिनांक 3-7-2006 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया, उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर शास. स्नातक महाविद्यालय स. उप. भंडार बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री महेन्द्र बंधे सह. निरी. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 29 जनवरी 2007

क्रमांक/परिसमापन/2007/113.—पंजीयन क्रमांक 3615 दिनांक 24-2-95 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1353 दिनांक 18-9-2006 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर गुरू घासीदास प्राथ. स. उप. भंडार गुरू घासीदास नगर बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्रीमति शोभा बंदे सह. निरी. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 29 जनवरी 2007

क्रमांक/परिसमापन/2007/114.—पंजीयन क्रमांक 3491 दिनांक 7-8-92 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 823 दिनांक 3-7-2006 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अतः संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर सिंधु प्राथ. स. उप. भंडार भक्त कवर नगर बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री महेन्द्र बंदे सह. निरी. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 29 जनवरी 2007

क्रमांक/परिसमापन/2007/115.—पंजीयन क्रमांक 3594 दिनांक 10-2-95 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 822 दिनांक 3-7-2006 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अतः संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर मां दुर्गा प्राथ. स. उप. भंडार भक्त कवर रामनगर बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्रीमति शोभा बंदे सह. निरी. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

डी. आर. ठाकुर,
सहायक पंजीयक.

कार्यालय, जनपद पंचायत-मरवाही जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी जनपद पंचायत-मरवाही

मरवाही, दिनांक 3 फरवरी 2007

क्रमांक/परि./2006/2528.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

क्रमांक	सहकारी संस्था का नाम	पं. क्र. एवं दिनांक	परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आदर्श मछुआ सहकारी समिति मर्यादित घिनौची.	3115/22-06-81	1750/24-06-95	
2.	विविध उद्देशीय सहकारी समिति मर्या. मेडुका.	2809/23-02-65	1750/24-06-95	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	विविध उद्देशीय सहकारी समिति मर्या. मरवाही.	2824/17-01-66	1750/24-06-95	
4.	विविध उद्देशीय सहकारी समिति मर्या. मझगंवा.	2808/24-08-64	1750/24-06-95	
5.	आदर्श मछुआ सहकारी समिति मर्यादित धोबहर.	3387/02-05-91		
6.	फल फूल साग सब्जी उत्पादन सहकारी समिति मर्या. सिवनी.	3960/13-10-2000	653/29-05-2006	

अतएव छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएं अधिनियम 1962 के नियम 57 (5) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त संस्थाओं के समस्त दावेदार/लेनदार अपने दावे मय प्रमाणपत्रों के लिखित में इस प्रकाशन के दो माह के अंदर मुझे कार्यालय जनपद पंचायत-मरवाही में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वतः विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड सम्पत्ति आदि हो तो तत्काल मुझे सौंपें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के वे भागीदार होंगे.

यह सूचना आज दिनांक 3-2-2007 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से प्रकाशित की गई.

आर. के. गुप्ता,
परिसमापक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.